



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-43/18 धारा-302/34 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.चन्द्रपाल पुत्र विन्दा कोरी 2.रामू पुत्र विन्दा कोरी 3. पंचा पुत्र ललइया निवासीगण ग्राम नायक पुरवा इचौली, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹10,000-10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
निरी0 प्रमेन्द्र कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम